RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in वेबसाइट : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 मार्च, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 9, अंक : 10

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस वर्ष मौसम के बदलाव के कारण आलू के भण्डारण की प्रक्रिया काफी अनिश्चित सी रही। शीतगृहों को यह अनुमान लगाना काफी कठिन हो गया कि कितना आलू क्षतिग्रस्त हुआ है। फरवरी, 2013 माह में 2 दफा जोरदार बारिश ने आलू को काफी नुकसान पहुँचाया जिस कारण आलू की खुदाई भी काफी लेट हो गई। यह पहला वर्ष है जब उत्तर प्रदेश में आलू की खुदाई करीब 4 मार्च से शुरू हो पायी। इतनी लेट खुदाई के कारण शीतगृह स्वामियों को काफी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है क्योंकि पूर्वी प्रदेश में जहाँ खुदाई और भी लेट है अभी आलू शीतगृहों में आ रहा है और आशा की जाती है कि आलू का भण्डारण कम से कम 12/14 अप्रैल, 2013 तक चलता रहेगा।

भण्डारण के समय आलू के भाव भी काफी तेज रहे जो कि 600 से 800 रुपये कुन्टल के करीब के बीच में चलते रहे। आलू के अधिक भाव ने अनिश्चितता का वातावरण बनाये रखा। हमें आशा है कि पूरे प्रदेश में औसत 80 से 85 प्रतिशत भण्डारण हो जायेगा। भविष्य के बाजारों के बारे में अभी से कहना कुछ उचित न होगा।

बढ़ती हुई विद्युत दरें :

बढ़ती हुई विद्युत दरों से शीतगृह उद्योग काफी परेशान हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने शीतगृहों को कृषि आधारित उद्योग मानकर कृषि टैरिफ में रखा है। हमने भी अपनी सरकार से इसी प्रकार के कदम उठाने की माँग करी है और कहा है कि हमें भी कृषि टैरिफ दिया जाये। हमारे द्वारा भेजे गए पत्र को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है।

GS112/CSA27/557/2013 March 4, 2013

The Principal Secretary, Energy,
Government of Uttar Pradesh,
Sachivalaya,
Lucknow (U.P.)

Dear Sir,

Subject : Request for special tariff for Cold Storages.

On behalf of Cold Storage Industy of Uttar Pradesh we request you to frame a new concessional tariff for Cold Storages.

Cold Storage is an agro-based industry and is solely for the benefit of agriculturists.

Maharashtra State Electricity Distribution Company has framed a new tariff and put Cold Storage at par with Agriculture Tariff. Here we are quoting the wording of the Maharashtra tariff.

"Applicability of Agricultural Tariff category to pre-cooling and cold storage on HT and LT voltage level :

HT or LT Agricuitural Tariff category shall be applicable for pre-cooling & cold storage for agricultural produce irrespective of whether pre-cooling & cold storage are being used by farmers or traders, and irrespective of the ownership pattern in respect of supply on HT or LT side. In this case, care should be taken that this applicability is extended only to the cold storage of unprocessed agricultural produce only and not to any other Cold Storage and Ice Cream parlors, Factory etc."

Cold Storages in Uttar Pradesh are incurring heavy losses because of very high rates of electricity. Power is just like a raw material to Cold Storages. Reduction in electricity tariff shall not only help the Cold Storage Industry but also to the agriculturists for whom the Storage rates are increasing because of power rates.

If agriculture tariff is granted to the cold storages of entire Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Power Corporation Limited shall have to adjust a nominal amount of Rs.125 crores only which is approximately equal to one year's billing of an electric arc furnace.

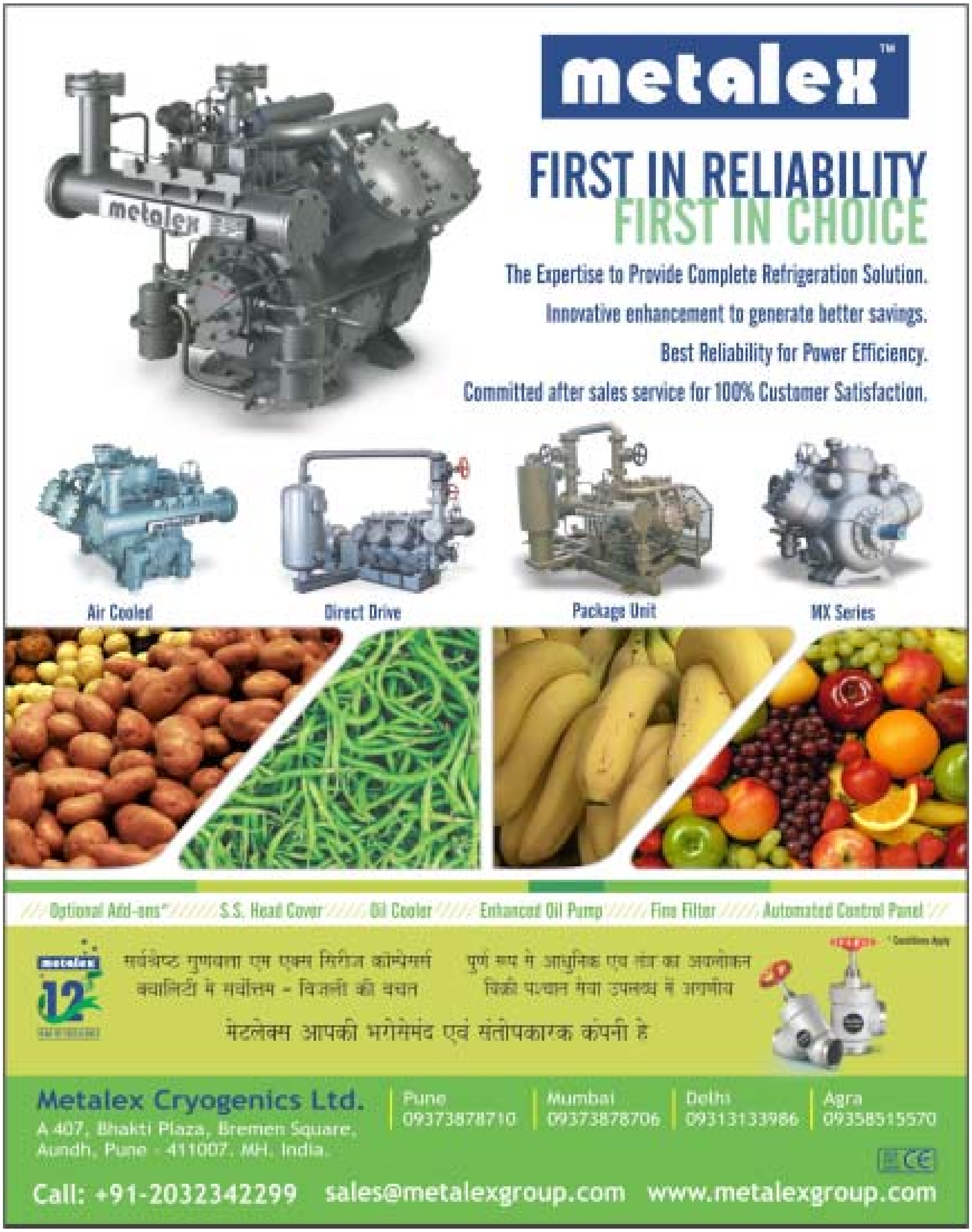
metalex
FIRST IN RELIABILITY
FIRST IN CHOICE
The Expertise to Provide Complete Refrigeration Solution.
Innovative enhancement to generate better savings.
Best Reliability for Power Efficiency.
Committed after sales service for 100% Customer Satisfaction.
Air Cooled
Direct Drive
Package Unit
MX Series
Optional Add-ons* S.S. Head Cover Oil Cooler Enhanced Oil Pump Fine Filter Automated Control Panel
सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता एम एक्स सिरीज कॉम्प्रेसर्स
क्वालिटी मे सर्वोत्तम - बिजली की बचत
मेटलेक्स आपकी भरोसेमंद एवं संतोषकारक कंपनी है
Metalex Cryogenics Ltd.
A 407, Bhakti Plaza, Bremen Square,
Aundh, Pune - 411007. MH. India.
Pune 09373878710
Mumbai 09373878706
Delhi 09313133986
Agra 09358515570
Call: +91-2032342299 sales@metalexgroup.com www.metalexgroup.com

Now in
UTTAR PRADESH

CROSS™

CROSS SPARES PVT LTD

AN ISO 9001 : 2008 COMPANY

www.crossindia.com

OEM SPARES	CROSS SPARES	LOCAL SPARES
GOOD QUALITY HIGH PRICE	GOOD QUALITY AS SAME AS OEM SPARES AND LOW PRICE	LOW PRICE BUT LOW QUALITY

CROSS SPARES ARE INTERCHANGEABLE WITH ALL HIGH SPEED COMPRESSOR SPARES

(KIRLOSKAR , METALAX , SRA , SABROE , COLT, ETC)

More than 60% of Cold Storages, Ice Factories, Fisheries & other Refrigeration Industries in Eastern India uses Cross Spares

Always Check for Cross Hologram

Authorised Dealer

Narang Refrigeration Sales

F - 13/87, Har Govind Dayal Bhawan, Opp. Old RTO Office, Latush Road, Lucknow - 226 001
Phone : 94150 90157 / 2683377 / 96960 99905, Email : narangref@gmail.com

In State of Uttar Pradesh there are only 1555 Cold Storage Storing 1crore 10 lakh tonnes of agriculture produce. Details are as under:

1.	No of Cold Storages in Uttar Pradesh	1555
2.	Total Average Storage Capacity	1crore 10 lakh metric tonnes
3.	80% Capacity Utilization	88 lakh metric tonnes
4.	Power Consumption	50 units per tonne per year

(For preservation of one quintal of potato for one season i.e. of eight months Average consumption of power is 5 units)

5.	Total Power Consumption	44 crore units
6.	Present Rate of Electricity	Rs.5.90. per Unit
7.	Total Payment on Unit Cost	Rs.264 crores
8.	Total Subsidy requested for the whole State of Uttar Pradesh to match tariff with Maharashtra will cost	Rs.125 crores

This is a long awaited demand from Cold Storage Industry. This time, we feel that your goodself shall definitely listen to our request.

Thanking you,

Yours faithfully

for **COLD STORAGE ASSOCIATION U.P.**

(MAHENDRA SWARUP)

PRESIDENT

Enclo : Tariff of Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.

GS112/CSA27/560/2013 March 7, 2013

The Principal Secretary, Energy,
Government of Uttar Pradesh,
Sachivalaya,
Lucknow (U.P.)

Dear Sir,

Subject : Request for special tariff for Cold Storages.

In continuation of letter No GS112/CSA27/557/2013 dated 4.3.2013, please find the latest order of Maharashtra State Electricity Distribution Company Ltd. Here

Commission Rulings are also given on this subject explaining the inclusion of cold storage under agriculture tariff. The relevant pages are marked.

Kindly consider our request for special tariff for cold storages of Uttar Pradesh.

Thanking you,

Yours faithfully
for **COLD STORAGE ASSOCIATION U.P.**
(MAHENDRA SWARUP)
PRESIDENT

Enclo: Tariff of Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. Alongwith Rulings of Maharashtra State Electricity Regulatory Commission.

शुगर फ्री आलू के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि पूरे भारत में काफी बड़ी संख्या में शीतगृह सी.आई.पी.सी. का छिड़काव अपने शीतगृह कक्षों में करवाते हैं जिससे कि भण्डारित आलू की शुगर की मात्रा बढ़ने न पाये। जब आलू पर सी.आई.पी.सी. का छिडकाव किया जाता है और उसे 10 डिग्री सेन्टीग्रेड से ऊपर भण्डारित किया जाता है तो उसमें शुगर की मात्रा बढ़ने नहीं पाती व काफी मात्रा में नियन्त्रित रहती है लेकिन आलू किसी भी तरह शुगर फ्री नहीं बनता। आलू में उत्पादन के समय ही कुछ न कुछ मात्रा में शुगर अवश्य होती है। यह हो सकता है कि सी.आई.पी.सी. के छिड़काव के बाद भण्डारित आलू में जो शुगर की मात्रा रहती है उससे diabetes के मरीजों को नुकसान न पहुचे या न के बराबर नुकसानदेह है परन्तु ऐसा आलू किसी भी तरह शुगर फ्री नहीं कहाँ जा सकता। अधिकांश शीतगृहों से ऐसा आलू निकलने के बाद शुगर फ्री के नाम से बाजार में व्यापारियों द्वारा शुगर फ्री कह कर बेचा जा रहा है। हमारी सलाह है कि शीतगृह ऐसे आलू को शुगर फ्री कह कर न बेचे, वह कम शुगर का आलू कह सकते हैं। गलत गुणवत्ता बताकर बेचना अपराध की श्रेणी में आता है। शीतगृहस्वामी इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दें क्योकि कोई भी भण्डारणकर्ता अगर अपने आलू को शुगर फ्री करके बेचता है तो यह अपराध की क्षेणी में आता है और ऐसा करने में उस शीतगृह की जिम्मेदारी भी बन सकती है जिस शीतगृह में उस भण्डारणकर्ता ने अपना आलू भण्डारित किया हो या उस शीतगृह से आलू खरीदा हो। अतः शीतगृह स्वामियों को तो केवल इतना कहना या लिखकर देना चाहिए कि आलू आधारित उद्योगों के लिए उचित आलू।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ :

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अपनी वेबसाइट Website पर उपभोक्ता अधिकार पत्र की जानकारी दी है जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

<u>उपभोक्ता अधिकार पत्र</u>

इस उपभोक्ता अधिकार पत्र के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकारों की जानकारी देने का उद्देश्य है। इस पत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वयं को उपलब्ध अधिकारों तथा सेवा की गुणवत्ता, जिनके सम्बन्ध में वह विद्युत वितरण कम्पनी से अपेक्षा रखते है, बावत समर्थ बनाना है।

1. नव संयोजन (कनेक्शन) प्राप्त किये जाने की प्रक्रियाँ :

नवीन संयोजन प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता के अधिकार निम्नानुसार है :–

- विद्युत वितरण कम्पनियों से उनके वितरण क्षेत्र में स्थित किसी भी कार्यालय से आवेदन प्रापत्रों तथा अनुबन्ध प्रपत्रों को निर्धारित मूल्य पर प्राप्त करना।
- अपने आवेदन से सम्बन्धित अद्यतन स्थिति से अवगत होना तथा निराकरण/निरस्त होने, व्यक्तिगत सुनवाई, अपील तथा कमियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करना।
- अनुबन्ध के उपरान्त, अनुबन्ध की एक प्रति को प्राप्त करना।
- विद्युत वितरण कम्पनी के प्रतिनिधि, जो उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करते हैं, से उनकी पहचान के सम्बन्ध में प्रमाण माँगना।
- उन प्रभारों की दरों की जानकारी प्राप्त किया जाना जो उपभोक्ता द्वारा नवीन संयोजन की प्राप्ति हेतु उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों की अनुसूची के अनुसार देय है।
- विद्युत अधिनियम, 2003 एवं उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित वितरण संहिता मानदण्ड के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत तथा आयोग द्वारा विद्युत वितरण संहिता में निर्धारित की गई सही प्रक्रियाँ अनुपालन किये जाने के पश्चात् एवं अनुमोदित अनुसूची के अनुसार शुल्क तथा प्रभारों के भुगतान उपरान्त विद्युत संयोजन प्राप्त करना।
- विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को शुल्कों तथा प्रभारों सम्बन्धी किये गये भुगतान की रसीद प्राप्त करना।

2. प्रतिभूति जमा (Security Deposit) :

- उपभोक्ता द्वारा प्रतिभूति का भुगतान नगर/धनादेश/किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है।
- उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिभूति भुगतान पर आयोग द्वारा निर्धारित की गई दरों पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है।

3. विद्युत मीटर :

- विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधियों को मीटर की स्थापना, इसके वाचन, मरम्मत, बदलने तथा परीक्षण (जाँच) के प्रयोजन से मीटर तक पहुँचने का अधिकार है।
- उपभोक्ता को मासिक ऊर्जा बीजक के साथ मीटर किराया भी करना होता है। तथापि, उपभोक्ता विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रदत्त मीटर/मीटर उपकरण की सम्पूर्ण लागत का अग्रिम भुगतान करने का विकल्प अपना सकता है। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता से मीटर किराया नहीं लिया जायेगा।
- उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कम्पनी को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर उसे निर्धारित परीक्षण शुल्कों के भुगतान द्वारा मीटर के सही होने के सम्बन्धित, परीक्षण/जाँच कराये जाने का अधिकार होगा। उपभोक्ताओं को मीटर परीक्षण के विवरण की एक प्रतिलिपि भी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

4. बिलिंग :

- उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विद्युत संहिता में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार मासिक विद्युत बीजक मय विस्तृत विवरण (भुगतान की निर्धारित तिथि का उल्लेख सहित) प्राप्त करना। मूल बीजक गुम हो जाने पर, बीजक की राशि की जानकारी (भुगतान के निर्धारित तिथि सहित) की प्राप्ति हेतु, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नामांकित कार्यालय से द्वितीय प्रतिलिपि, निर्धारित भुगतान कर, प्राप्त की जा सकती है।
- विद्युत वितरण कम्पनी से, बिल की गणना के आधार पर सम्बन्धित विवरण की माँग करना।

SUPERFREEZE
Acclaimed name in
REFRIGERATION EQUIPMENT INDUSTRY
SRA-SERIES
Refrigeration Compressors Single & Double Stage
Air Cooling Units
Solenoid Valves
Stop Valves
Float Switch
Inline Check Valves
Electronic Liquid Level Controller
Weld-in Line Stop Valves
Digital Temperature Indicator
WIDEST RANGE OF REFRIGERATION VALVES
Energy Efficient • Optimum Cooling • Compact
SUPERFREEZE INDIA LIMITED
An ISO 9001:2000 Certified Company
36/7, Village Sankhol, Delhi-Rohtak Road, Bahadurgarh -124507 (Haryana), India
Tel: +91-1276-241449, +91-1276-241450, +91-9313517675
Fax: +91-1276-241549 | E-mail: sales@superfreeze.com | Website: www.superfreeze.com
For Your Requirement Contact
M/S National Engineering Corp.
Agra: +91-562-2345568, +91-9837053678
Hapur: +91-122-2312024
Delhi: +91-11-23264001
M/S S. K. Trading Co.
Varanasi: +91-9935551063, +91-9450015276

5. संयोजन विच्छेदन से पूर्व नोटिस प्राप्त करने का अधिकार तथा पुनर्संयोजन हेतु प्रक्रिया :

- विद्युत अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा संयोजन विच्छेदन से पूर्व न्यूनतम 15 स्पष्ट दिवस की लिखित सूचना को प्राप्त किया जाना, यदि उसके द्वारा निर्धारित तिथि तक विद्युत बीजक का भुगतान नहीं किया जाता है।
- उपभोक्ता तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मद किसी बिलिंग राशि सम्बन्धित विवाद के निरकरण होने के पर्यन्त, उपभोक्ता से दावा की गयी राशि के बराबर अथवा पिछले छः माह के दौरान विद्युत खपत हेतु भुगतान की गयी औसत राशि के आधार पर गणना की गयी राशि के बराबर, इनमें जो भी कम हो, का भुगतान, विरोध की अभिव्यक्ति के अध्यधीन (Under Protest) किया जाना।
- विद्युत अधिनियम की धारा 47 के अन्तर्गत वाँछित प्रतिभूति राशि जमा न किये जाने पर संयोजन विच्छेद से पूर्व 30 दिवस का नोटिस लिखित में प्राप्त किया जाना।
- उपभोक्ता द्वारा संयोजन विच्छेदन से सम्बन्धित कारणों के प्रतितोषण उपरान्त, देय राशि तथा अन्य प्रभारों की राशि का भुगतान कर, जो संयोजन विच्छेदन/पुनर्संयोजन हेतु निर्दिष्ट किये हों, विद्युत प्रदाय को प्राप्त करना।

6. विद्युत वितरण कम्पनियों के वितरण अनुपालन मानदण्ड :

- उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वितरण कम्पनियों हेतु अधिसूचित कतिपय वितरण अनुपालन मानदण्ड प्रत्याभूत किये गये है। उपभोक्ताओं को इन मानदण्डों के अनुरूप सेवायें प्राप्त करने का अधिकार है।
- प्रत्याभूत मानक के पूरा न करने के लिए लाइसेंसी प्रतिकर (Compensation) का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

7. उपभोक्ता शिकायत केन्द्र :

- उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा स्थापित किये गये शिकायत निवारण केन्द्रों पर व्यक्तिगत रूप से अन्यथा अन्य किसी संसूचना के माध्यम की सहायता से किसी जानकारी की प्राप्ति का अथवा शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। शिकायत निवारण केन्द्रों द्वारा आवश्यक सेवायें प्रदान की जायेंगी।

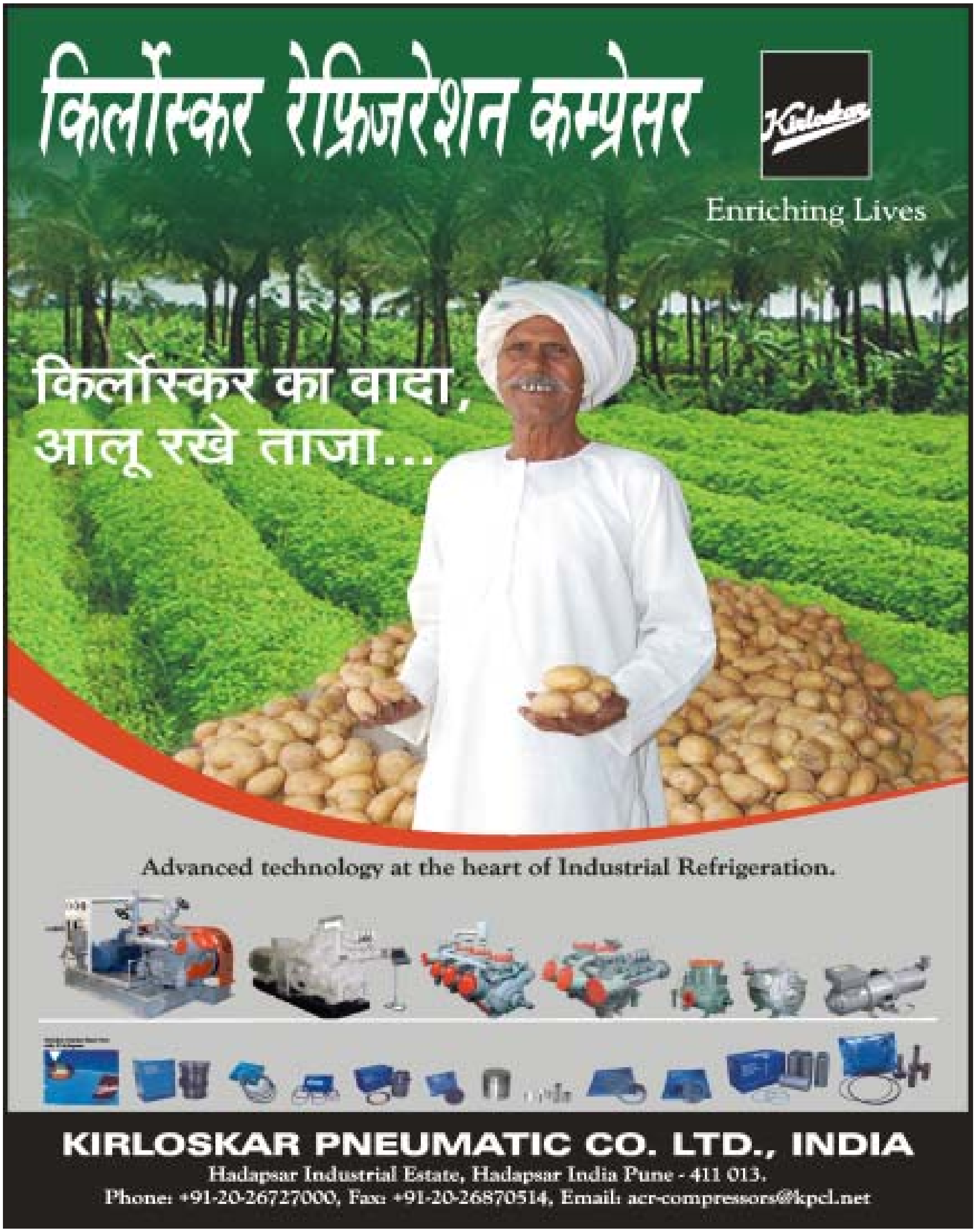
किर्लोस्कर रेफ्रिजरेशन कम्प्रेसर
Kirloskar
Enriching Lives
किर्लोस्कर का वादा,
आलू रखे ताजा...
Advanced technology at the heart of Industrial Refrigeration.
KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD., INDIA
Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar India Pune - 411 013.
Phone: +91-20-26727000, Fax: +91-20-26870514, Email: acr-compressors@kpcl.net

MCHILL

• कोल्ड स्टोरेज डोर •
• केला पकाने का स्टोर •
• कूलिंग युनिट (कण्डेन्सर / एवेपोरेटर) •
• कोल्ड स्टोरेज इन्सूलेटड पैनल •

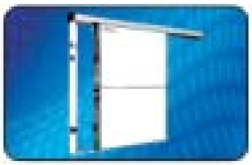

युरोप के कोल्ड स्टोरेज डोर

केला / आम या अन्य फल पकाने का स्टोर

कूलिंग युनिट कण्डेन्सर / एवेपोरेटर

आपका व्यापार बढ़ाने के लिए संपर्क करें :-

MAHARAJA POLYURETHANE PVT. LTD.
31, RANI JHANSI ROAD, NEW DELHI - 110055
E-mail : vsingh@maharajapolyurethane.com
Website : www.maharajapolyurethane.com
Mobile : 9810017875

8. उपभोक्ता अधिकार–पत्र, विद्युत वितरण संहिता, वितरण अनुपालन मानदण्ड सम्बन्धी विनियम, व्ययों की वसूली से सम्बन्धित विनियम, टैरिफ अनुसूचियों की प्राप्ति :

- उपभोक्ताओं को उल्लेखित अभिलेखों की प्रतियाँ विद्युत वितरण कम्पनी के विद्युत वितरण केन्द्र, खण्डीय/मण्डलीय कार्यालयों से विनिर्दिष्ट प्रभारों का भुगतान कर प्राप्त किये जाने का अधिकार होगा। उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कम्पनी की वेबसाइट से उपरोक्त अभिलेखों के अवलोकन का तथा डाउनलोड करने का भी अधिकार है।

9. शिकायत निवारण :

- उपभोक्ताओं को उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5), (6) तथा (7) के उपबन्धों के अन्तर्गत उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 के अनुसार उनकी शिकायतों का निराकरण कराये जाने का अधिकार है।
- विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा जानकारी प्राप्त करना कि किस विधि तथा प्रारूप के अन्तर्गत फोरम तथा विद्युत लोकपाल स्तर पर शिकायत/अपील/प्रतिवेदन दायर किया जाना है तथा आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अन्तर्गत बनाये गये अथवा जारी किये गये अतिरिक्त नियम, प्रक्रियाएँ अथवा परिपत्र।

और अधिक जानकारी की प्राप्ति हेतु :

- उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट www.uperc.org का अवलोकन करें।
- विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत आपूर्ति संहिता 2002 एवं 2005, कास्ट डाटा बुक, उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उ.व्य.नि.फो. और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 एवं विभिन्न संशोधनों का संदर्भ ले सकते हैं।
- विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अनुसरण, नियमों आदि की प्राप्त हेतु उपभोक्ता द्वारा सम्बन्धित वितरण क्षेत्र के स्थानीय कार्यालय से सम्पर्क किया जाना चाहिए। विभिन्न वितरण कम्पनियों की वेबसाइट निम्नवत् है।

  (i) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि., मेरठ www.pvvnl.org

  (ii) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., लखनऊ www.mvvnl.org.in

(iii) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., आगरा www.dvvnl.org

(iv) पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि., वाराणसी www.puvvnl.in

(v) केस्को, कानपुर kesco.co.in

(vi) एन.पी.सी.एल., ग्रेटर नोएडा noidapower.com

<u>उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम :</u>

एन.पी.सी.एल. ग्रेटर नोएडा एवं केस्को कानपुर के साथ–साथ उ.प्र. के प्रत्येक राजस्व मण्डल मुख्यालय पर जिला जज/अपर जिला जज की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय व्यथा निवारण फोरम का गठन किया जा चुका है जहाँ लाइसेंसी से निम्न समस्याओं से व्यथित उपभोक्ता अपनी शिकायत/परिवाद किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं –

- अधिक/गलत बिलिंग
- विद्युत प्रदाय में व्यवधान/रूकावट
- वोल्टेज संबंधी शिकायतें
- अधिसूचित विद्युत कटौती
- मीटर संबंधी शिकायतें
- विद्युत प्रदाय का संयोजन (कनेक्शन) विच्छेदन तथा पुनर्संयोजन
- नये कनेक्शन देने में देरी
- विद्युत दर (टैरिफ) का गलत प्रयोग
- अन्य शिकायतें, जैसे कि उपभोक्ता के उपकरण/नेटवर्क/परिसर को नुकसान अथवा भार/माँग में कमी/वृद्धि किये जाने संबंधी अनुरोध का पालन न किया जाना। सुरक्षा निधि (Security Deposit) के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना अथवा अनुपालन मानदण्डों (Standards of performance) को मानकों के अनुरूप लागू नहीं किया जाना।

आयोग ने अनुपालन मानदण्डों का निर्धारण किया है, जिसके तहत विद्युत कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की समय–सीमा तथा सेवा में विलंब होने पर कंपनी द्वारा उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की है।

उपरोक्त सभी प्रकार की शिकायतों के लिये बिजली उपभोक्ता विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा स्थापित 'विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम' में व्यक्तिगत रूप से पत्र द्वारा अथवा अन्य किसी के माध्यम से रु. 50/– पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चेक के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता अपने परिवाद में (i) नाम पता, संयोजन संख्या, फोन नं. (ii) लाइसेंसी/वितरण खण्ड नाम पता (iii) मामले का पूर्ण तथ्य (iv) चाहा अनुतोष (v) अन्य सुसंगत तथ्यों आदि का उल्लेख करेगा। फोरम के विवरण निम्नानुसार है –

1. **मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि., 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ के अन्तर्गत–** फोन 0522–2208737
   - (i) लखनऊ – फोन नं. : 0522–2470069, मोबाइल : 9415903263
   - (ii) बरेली – फोन नं. : 0581–2427163, 2427162
   - (iii) फैजाबाद – मोबाइल : 9415072928
   - (iv) गोण्डा (देवी पाटन) – फोन नं. : उपलब्ध नहीं है।
2. **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. हाइडिल कॉलोनी, भिखारीपुर, वाराणसी के अन्तर्गत** – फोन 0542–2318437
   - (i) वाराणसी – फोन नं. : 0542–2223127
   - (ii) गोरखपुर – मोबाइल : 9452354114, 9450963845
   - (iii) आजमगढ़ – मोबाइल : 9335119620, 9450963730
   - (iv) मीरजापुर – मोबाइल : 9838648054
   - (v) बस्ती – मोबाइल : 9452304046
   - (vi) इलाहाबाद – फोन नं. : 0532–2261200
3. **पश्चिांचल विद्युत वितरण निगम लि., विक्टोरिया पार्क, मेरठ के अंतर्गत** – फोन 0121–2665734
   - (i) मेरठ – फोन व फैक्स नं. : 0121–2647760
   - (ii) सहारनपुर – फोन नं. : 0132–2765933, 2766360 फैक्स : 0132–2765598
   - (iii) मुरादाबाद – फोन नं. : 0591–2481535
4. **दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि., विद्युत भवन, गैलाना रोड, आगरा के अन्तर्गत** – फोन 0542–2318437
   - (i) आगरा – फोन नं. : 0562–2581069
   - (ii) अलीगढ़ – मोबाइल : 9412585948, 9760291128

(iii) कानपुर – मोबाइल : 9415909012, 9410827602

(iv) झांसी – फोन नं. : उपलब्ध नहीं है।

(v) चित्रकूट – मोबाइल : 9811095724, 9412876059

5. **केस्को, केसा हाउस, 14/71, सिविल लाइन्स, कानपुर के अर्न्तगत – कानपुर** मोबाइल : 9838001889/9839918111/9839214273

6. **नोएडा पावर कम्पनी लि., कामर्शियल काम्प्लेक्स, एच. ब्लॉक, अल्फा–द्वितीय, ग्रेटर नोएडा सिटी के अन्तर्गत** – ग्रेटर नोएडा फोन नं. : 0120–4278517, 9717591995, 9891701250, फैक्स : 0120–2326448

विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman) :

उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम द्वारा वादों के निर्णय के विरुद्ध अथवा वाद दायर करने के 90 दिन (तीन माह) व्यतीत होने के उपरान्त अभ्यावेदन (अपील), बिना कोई शुल्क जमा किये, विद्युत लोकपाल के यहाँ 1 माह के भीतर दायर किया जा सकता है। अभ्यावेदन/अपील का प्रारूप भी उपलब्ध है जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता, विद्युत कम्पनी/वितरण खण्ड का नाम, पता, फोरम का नाम, अभ्यावेदन/अपील को उद्‌भूत करने वाले तथ्य, चाहा गया अनुतोष एवं सुसंगत तथ्यों आदि को उल्लिखित करेगा। विद्युत लोकपाल/फोरम के निर्णयों तथा निर्देशों के अनुपालन का उल्लंघन करने पर आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 142 के अन्तर्गत प्रति उल्लंघन रु. एक लाख तक की धनराशि का दण्ड लगाने का प्राविधान है। विद्युत लोकपाल के निर्णय के विरूद्ध अपील का प्राविधान नहीं है। विद्युत लोकपाल का पता निम्नवत् है –

विद्युत लोकपाल
तृतीय तल, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (नेडा)
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010
दूरभाष संख्या : 0522–2720856 फैक्स नं. : 0522–2720857

नए शीतगृहों के सम्बन्ध में :

देश में लगने वाले नए शीतगृहों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। विभिन्न कम्पनियाँ शीतगृह व कोल्ड चेन के बारे में जानकारियाँ इकट्‌ठी कर रही है। अधिकांश ने हमसे सम्पर्क करने के बाद कहा कि बाहर से देखने पर शीतगृह व कोल्ड चेन उद्योग बहुत ही लाभदायक लगता है फिर नए शीतगृह उस रफ्तार से क्यों नहीं बन रहे हैं?

SUPER MAINI
ISO 9001 : 2008
SUPER
COOLING UNIT
AIR CURTAIN
SOLENOID VALVE
MONO BLOCK VERTICAL AGITATOR
BRINE AGITATOR
ANGLE VALVE
GLOBE VALVE
LIQUID VALVE
REFLAX VALVE
PIPE FITTINGS
COMPRESSOR SPARES
आइस प्लान्ट, कोल्ड स्टोरेज, कैमीकल प्लान्ट, मिल्क चिलिंग प्लान्ट, इंडस्ट्रीयल एयर कंडीशनींग प्लान्ट, फीशरी प्लान्ट, आदि के लिए उपयुक्त
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-
सुपर मैनी एंटरप्राइजिस
दुकान नं. 106, पहली मंजिल, सी० एस सी०,
डी० डी० ए० मार्किट, स्टेट बैंक नगर,
नजदीक मीरा बाग चौक, ऑउटर रिंग रोड,
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
फोन : 91-11-25269432 टैलीफेक्स : 91-11-25251225
मोबाइल : 9810167231 वेबसाइट : www.supermaini.com
ई-मेल : info@supermaini.com
उत्तर प्रदेश एरिया डीलर्स-
• मैसर्स एमपी रेफ्रिजरेशन स्टोर (लखनऊ)
फोन : 0522-2286660, मोबाइल : 98390 12465
• मैसर्स अल-आजाद रेफ्रिजरेशन (कानपुर)
मोबाइल : 9336118558, 9415405572
• मैसर्स एस एल एण्ड सन्स रेफ्रिजरेशन (मुरादाबाद)
फोन : 0591-2351306, मोबाइल : 9412493581, 9411037978
• मैसर्स सिंह रेफ्रिजरेशन (आगरा)
मोबाइल : 9412261344, 9837774099

इस सम्बन्ध में हम आपके सामने दैनिक जागरण में 17.3.2013 को प्रकाशित एक खबर को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे श्री सुधीर चन्द्र गोयल, खतौली कोल्ड स्टोरेज, मुज्जफरनगर ने हमारे पास भेजा है।

''कोल्ड स्टोरेज खोलने से कतरा रहे निवेशक :

बागवानी उत्पादों में आलू को छोड़ अन्य के भण्डारण की कोई सुविधा नहीं है। सरकारी प्रोत्साहन की घोषणा के बावजूद निजी निवेश से कोल्ड स्टोरेज खोलने की योजना फेल हो गई। फायदे का धंधा न होने से इसे बनाने को लेकर निवेशक उत्साहित नहीं हैं। जबकि इस क्षेत्र में माँग व आपूर्ति में भारी अंतर है। देश में 23 करोड़ टन जरूरत के मुकाबले केवल तीन करोड़ टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज है।

महंगी जमीन और प्रशासनिक लापरवाही के चलते कोल्ड स्टोरेज क्षेत्र में निजी निवेश नहीं आ पा रहा है। जबकि चालू योजना में सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के मकसद से कई आकर्षक घोषणाएँ की है। कोल्ड चेन में 25 फीसद की सब्सिडी को बढ़ाकर 40 फीसद कर दिया गया है। फिर भी योजना की सफलता पर संदेह है।

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज हैं। मगर पुरानी तकनीक पर आधारित होने की वजह से इनमें भण्डारण की लागत बहुत अधिक है। इसके मुकाबले राज्य सरकारों ने इन कोल्ड स्टोरेज के किराये में पिछले तीन साल से संशोधन नहीं किया है। महंगी बिजली और महँगे मजदूर होने से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल मुं लगभग सौ कोल्ड स्टोरेज बंद हो चुके हैं। हालांकि सरकार ने पुराने कोल्ड स्टोरेज को आधुनिक बनाने के लिए मदद मुहैया कराने का प्रावधान किया है। इन दोनों राज्यों में भी सिर्फ आलू भण्डारण की ही सुविधाएँ हैं। कोल्ड स्टोरेज से होने वाली आय में लगातार गिरावट के चलते निवेशक आकर्षक प्रोत्साहन के बावजूद हाथ डालने से बच रहे हैं। केन्द्र सरकार ने कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने 12 लाख टन क्षमता वाले नए कोल्ड स्टोरेज बनाने और आठ लाख टन क्षमता वाले पुराने कोल्ड स्टोरेज को आधुनिक बनाने की सिफारिश थी। कोल्ड स्टोरेज की शृंखला पर एक प्रमुख बैंक की ताजा अध्ययन रिपोर्ट में इसे अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र बताते हुए इस क्षेत्र में 2015 तक 40 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक के निवेश का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ढेर सारी योजनाओं के बावजूद इस क्षेत्र में निवेश की हालत बहुत कमजोर है।''

Since 1967, India's leading & trusted house of refrigeration equipment & spare parts
Equipments as per NHB Norms
SUPER
Name Matches Performance
Refrigeration Cast
Iron and Weld in line Valves
Spare Parts
Super Refrigeration (India) Pvt. Ltd.
Regd. Office : WH-62, Mayapuri Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110064 (INDIA)
Phone : +91 11 45595079, 45683942, Fax : +91 11 45595079
E-mail : info@superrefrigeration.com
Web. : www.ammonia-refrigeration-equipments.com, www.supervalve.net
www.indiamart.com/superrefrigeration
We also Undertake Complete Turnkey Projects in Refrigeration & Project Consultancies

मैनपुरी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव :

हमें बड़ा हर्ष है कि मैनपुरी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने अपना इस वर्ष का पदाधिकारियों का चुनाव सम्पन्न कर लिया है। उनके पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं :–

(1) श्री विनय गुप्ता, अध्यक्ष

(2) श्री मनमोहन जी, उपाध्यक्ष

(3) श्री बलवीर जैन, सचिव

(4) श्री संजीव भटनागर, उप सचिव

(5) श्री श्रवन कुमार चन्देल, कोषाध्यक्ष

उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि भण्डारणकर्ताओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाये। तौल उसके सामने करा के तलपट्टी तुरन्त दी जाये। भण्डारणकर्ताओं, कृषकों से अधिक से अधिक भाईचारे का सम्बन्ध बनाया जाये। उनके द्वारा भेजी हुई फोटो भी हम यहा प्रकाशित कर रहे हैं।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित